न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 61/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/202

अनवान

1. मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता खुमा, रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी — वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक:— 8-1-2026

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम धूलखेड़ा पटवार मण्डल बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात खाता संख्या 307 में अंकित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 264 में अंकित आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0गै.मु. आचा भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है।
2. वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात में किसी भी व्यक्ति का हक दखल नही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के साथ—साथ आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 का सहखातेदार है जिसने कुएं की छुट एवं वादीगण के नाम तन्हा रूप से दर्ज वादीगण की आराजी संख्या 1259 के आंशिक रकबे पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाक 19.10.2022 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 17.03.2023 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादीगण की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की गई मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश की है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3. वादीगण की आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 मे से 0.16 है0 भूमि पर व चाह आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा पाया गया, प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा हटाने बावत् कहा लेकिन टालमबाजी का जवाब देते रहे है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण की भूमि से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे वादीगण को कब्जेयाबी की डिक्री बावत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बेदखली की डिक्री वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 जारी फरमाई जाकर वादीगण की आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 मे से 0.16 है0 भूमि, आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की डिक्री फरमाई जावे, तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2 से पालना कराई जाकर कब्जा वादीगण को सिपूर्द किया जावे।

5. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 19.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार है।

6. प्रकरण में मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल जाति रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा ने शपथ पर बयान किए गए। बयान में अंकन किया कि वादीया व सुवा पिता खेमा की ग्राम धूलखेड़ा की आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 गे.मु. आचा सामलाती रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर खाता संख्या 264 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के साथ–साथ आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 का सहखातेदार है जिसने कुएं की छुट एवं वादीगण के नाम से तन्हा रूप से दर्ज आराजी संख्या 1259 के आंशिक रकबे पर जबरन कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कब्जा नही छोड़ने पर वादपत्र पेश किया। वादपत्र में निम्न दस्तावेज प्रदर्श कराए गए जो निम्न है :–

क्र.स.	प्रदर्श	विवरण	वि.वि.
1	प्रदर्श–1	वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 264 की प्रति	
2	प्रदर्श–2	वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 307 की प्रति	
3	प्रदर्श–3	नक्शा ट्रेस की प्रति	
4	प्रदर्श–4	पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा	

7. वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर पर्चे से स्पष्ट है, आराजी संख्या 1258, 1259 पर प्रतिवादी बालु का कब्जा है जिसको बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 307 में अंकित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 मे से 0.16 है0 भूमि, व खाता संख्या 264 आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया की आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 मे से 0.16 है0 भूमि, आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8-1-2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 61 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 202

अनवान

1. मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता खुमा, रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया की आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0 मे से 0.16 है0 भूमि, आराजी चाह संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिक्री आज दिनांक 8-1-2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा